अस्वीकरण:

इस दस्तोवज में मौजूद विषय केवल जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य जनता तक सूचना को जल्द और आसानी से पहुंचाना है और इसे कानूनी दस्तोवजों के तौर पर नही समझा जाना चाहिए।

जनता को सलाह दी जाती है कि विषय का सत्यापन सरकारी अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि से करें।

प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान

प्रत्यक्ष करों के भुगतान के दो तरीके हैं (i) भौतिक तरीका अर्थात् नामित बैंको में चालान की कागजी प्रति का उपयोग के द्वारा भुगतान, और (ii) ई-भुगतान का तरीका अर्थात् इलेक्ट्रानिक तरीके उपयोग करते हुये भुगतान करना। इस भाग में, आप विभिन्न प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

परिचय

पहले, हम सिनेमा टिकट, रेलवे टिकट, आदि बुक करने के लिए घंटों तक कतार में खड़े रहने के आदी थे लेकिन अब हम अपने स्थान पर आराम करते हुये और इन्टरनेट का उपयोग करते हुये इन कार्यों को कर सकते हैं। तकनीक के विकास के साथ सरकार ने खुद को भी उन्नत किया है। पहले, करदाताओं का कर का भुगतान करने के लिए बैंको में लम्बी कतार मे इन्तजार करना पड़ता था, लेकिन ई-भुगतान सुविधा के परिचय के बाद कोई किसी भी स्थान से अधिकृत बैंको की इन्टरनेट बैंकिग की सुविधा का उपयोग करते हुये पूर्णतय: सुविधाजनकपूर्ण कर का भुगतान कर सकता है।

आवश्यक या अनिवार्य ई-भुगतान

निम्नलिखित करदाताओं के लिए केवल ई-भुगतान के तरीके का उपयोग करते हुये कर का भुगतान करना आवश्यक है (अर्थात, इन्टरनेट बैंकिग सुविधा का उपयोग करते हुए)। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित व्यक्ति कर का भुगतान भौतिक तरीके का उपयोग करते हुये नहीं कर सकते और कर भुगतान ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करते हुये इलेक्ट्रानिक तरीके से करना होगा।

- **सभी कम्पनियाँ**

- **कम्पनी के अलावा सभी करदाता जो धारा 44कख के अनुसार अपने खातों को अंकेक्षित करने के लिए उत्तरदायी हैं।**

उदाहरण

एसेम लि. की वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर देयता रू. 8,40,000 है। वह अपनी कर देयता का निवर्हन करना चाहता है। कंपनी को कर के भुगतान की विधि के संबंध में सलाह दें।।

**

एक कंपनी को कर का भुगतान करने के लिए केवल ई-भुगतान के तरीके का इस्तेमाल करना अनिवार्य है (अर्थात्, इन्टरनेट बैंकिग सुविधा का उपयोग करते हुये)। इस प्रकार, एसेम लिमिटेड को अपना कर भुगतान इलेक्ट्रानिक तरीके से नेट बैंकिग सुविधा का उपयोग करते हुये करना होगा।

उदाहरण

श्री राजा खाद्यान व्यापार के कारोबार में लगा हुआ है। व्यवसाय का वार्षिक कारोबार रु 2,84,00,000 था। वह रु 1,84,000 का अग्रिम कर का भुगतान करना चाहता है। उसे कर के भुगतान के तरीके की सलाह दें।

**

श्री राजा के व्यवसाय का कारोबार रु 1,00,00,000 से अधिक है और, इस प्रकार धारा 44कख के अनुसार श्री राजा अपने खाता के अंकेक्षण के लिये उत्तरदायी होगा।

निम्नलिखित कर दाताओं को केवल ई-भुगतान के तरीके का उपयोग करते हुये, कर का भुगतान करना अनिवार्य है (अर्थात्, इन्टरनेट बैंकिग सुविधा का उपयोग करते हुये)। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित व्यक्ति कर के भुगतान के भौतिक तरीके का उपयोग नही कर सकते और कर का भुगतान इलेक्ट्रानिक तरीके से ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करते हुये करना होगा:

(1) **सभी कम्पनियाँ**

(2) **कम्पनी के अलावा सभी कर दाता जो धारा 44कख के अनुसार अपने लेखा खातों के अंकेक्षण के लिये उत्तरदायी है।**

श्री राजा अपने लेखा खातों के अंकेक्षण के लिये उत्तरदायी है और इस प्रकार वह उपरोक्त (2) के द्वारा कवर होगा, इसलिए उसे अपना कर इलेक्ट्रानिक रूप से अर्थात् नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुये करना होगा।

उदाहरण

श्री विपुल वस्त्रों के व्यापार के कारोबार में लगे हुये है। व्यापार का वार्षिक कारोबार रु 84,00,000 तक की राशि है। साल के लिये लाभ रु 8,40,000 है। वह अपना अग्रिम कर का भुगतान करना चाहता है उसे कर के भुगतान के तरीके की सलाह दे।

**

व्यापार का कारोबार 1,00,00,000 से अधिक नहीं है और इस प्रकार धारा 44कख के अनुसार श्री विपुल अपने खातों के अंकेक्षण के लिये उत्तरदायी नहीं है।

निम्नलिखित करदाताओं के लिए केवल ई-भुगतान तरीके का उपयेग करते हुये कर का भुगतान करना अनिवार्य है (अर्थात्, इन्टरनेट बैंकिग की सुविधा का उपयोग करते हुये)। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित व्यक्ति कर का भुगतान भौतिक तरीके का उपयोग करते हुये नहीं कर सकते और कर का भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप से ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करते हुये करना होगा:

1) **सभी कम्पनियाँ**

2) **कम्पनियों के अलावा अन्य करदाता जो धारा 44कख के अनुसार अपने लेखा खातों के अंकेक्षण लिए उत्तरदायी हैं।**

श्री विपुल उपरोक्त किसी भी श्रेणी में कवर नहीं होते है। और, इस प्रकार उनके लिए कर का भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप से करना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, वह कर का भुगतान अपनी पंसद के अनुसार भौतिक रूप से या इलेक्ट्रानिक तरीके से कर सकते हैं। हालांकि, ई-भुगतान आसान होगा और समय और प्रयासों की बचत होगी।

<u>उदाहरण</u>

एसेम लिमिटेड ने रु 84,000 की दलाली का भुगतान श्री कपूर को किया। कम्पनी ने श्री कपूर को भुगतान की गयी दलाली पर रु 4,200 के कर की कटौती की। यह सरकार को रु 4,200 के टीडीएस का भुगतान करना चाहती है। कंपनी को सलाह दें कि सरकार के खाते में टीडीएस के भुगतान की विधि क्या है।

निम्नलिखित करदाताओं के लिये केवल ई-भुगतान तरीके का उपयोग करते हुये कर का भुगतान करना अनिवार्य है (अर्थात् इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा का उपयोग करते हुये)। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित व्यक्ति कर का भुगतान भौतिक तरीके का उपयोग करते हुये नही कर सकते और कर का भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप से ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करते हुये करना होगा:

(1) **सभी कम्पनियाँ**

(2) कम्पनियों के अलावा अन्य करदाता जो धारा 44कख के अनुसार अपने लेखा खातों के अंकेक्षण के लिये उत्तरदायी हैं।

उपरोक्त प्रावधान कर के सभी रूपों में अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर, स्रोत पर काटा गया कर इत्यादि की तरह लागू होंगे। इस प्रकार इजीम लिमिटेड को इलेक्ट्रानिक रूप से नेटबैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हुये सरकार का जमा होने वाले टी डी एस का भुगतान करना होगा।

उदाहरण

श्री क्रुनाल खाद्यान व्यापार के कारोबार में लगे हुये है। व्यापार का वार्षिक कारोबार 2,84,00,000 था। उसने एक दलाल के माध्यम से 1,000 कुन्तल गेहूँ खरीदा और उसकी दलाली हेतु रु 84,000 का भुगतान किया। श्री क्रुनाल ने उनके द्वारा दलाली पर भुगतान किये गये रु 8,400 की कर कटौती की। वह रु 8,400 के टी डी एस का भुगतान सरकार को जमा करना चाहता है। उसे सरकार को जमा होने वाले टी डी एस के भुगतान के तरीके की सलाह दें।

व्यापार का कारोबार रु 1,00,00,000 से अधिक है और अत: धारा 44कख के अनुसार श्री क्रुनाल लेखा खाते के अंकेक्षण के लिये जिम्मेदार होगा।

यह निम्नलिखित करदातओं को केवल ई-भुगतान तरीके का उपयोग करते हुये कर का भुगतान करने के लिए अनिवार्य है (अर्थात, इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हुये)। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित व्यक्ति कर का भुगतान भौतिक तरीके के उपयोग से नहीं कर सकते और कर का भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप से ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करते हुये करना होगा:

(1) सभी कम्पनियाँ

(2) कम्पनियों के अलावा सभी करदाता जो धारा 44कख के अनुसार अपने लेखा खातों के अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।

उपरोक्त सभी प्रावधान कर के सभी रूपों जैसे अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर स्रोत पर कर कटौती, इत्यादि में लागू होंगे। अत: श्री क्रुनाल को नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुये सरकार को जमा होने वाले टीडीएस का भुगतान करना होगा।

वैकल्पिक ई-भुगतान

जैसा कि उपरोक्त चर्चा की गयी, ई-भुगतान सभी कम्पनियों और धारा 44कख के तहत लेखा परीक्षा द्वारा कवर सभी अनिगमित कर दाताओं के लिये अनिवार्य है। एक व्यक्ति अनिवार्य श्रेणी में कवर नही है अपने कर का भुगतान ई-भुगतान तरीके का उपयोग करते हुये स्वेच्छा से कर सकता। ई-भुगतान से समय और प्रयासों की बचत होगी

ई-भुगतान के लाभ

ई-भुगतान समय बचत, साधारण, सुरक्षित है और यह सुविधा कही से भी किसी भी समय उपयोग की जा सकती है।

ई-भुगतान करने के लिये आवश्यकताये।

निम्नलिखित में से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करके कर का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है:

क) नेट बैंकिंग

ख) डेबिट कार्ड

ग) क्रेडिट कार्ड

घ) आरटीजीएस/एनईएफटी

ङ) यूपीआई

यदि करदाता के पास उपरोक्त में से कोई भी सुविधा नहीं है तो वह किसी अन्य व्यक्ति के खाते का उपयोग करके ई-भुगतान कर सकता है लेकिन कर का भुगतान उसके नाम पर किया जाना चाहिए।

यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाना है, तो आपको 'पेमेंट गेटवे' मोड विकल्प का चयन करना होगा। ऐसे मामले में, 0.85% GST @ 18% का लेनदेन शुल्क लागू होगा। ये लेन-देन शुल्क इस मोड में कर राशि के ऊपर और ऊपर लागू होंगे।

कर जो इलेक्ट्रानिक रूप से भुगतान किये जा सकते हैं।

निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर ई-भुगतान तरीके का उपयोग करते हुये भुगतान किये जा सकते है:

(1) आयकर

(2) समान वसूली

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]

(3) **निमगित कर (अर्थात, कम्पनी के द्वारा भुगतान किया गया आयकर)**

(4) **स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)**

(5) **स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस)**

(6) **सुरक्षा लेन देन कर (एसटीटी)**

(7) **सम्पत्ति कर और अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे की उपहार कर, व्यय कर इत्यादि।**

चालान जिसे प्रयोग किया जाना है, का रूप

निम्नलिखित विभिन्न प्रत्यक्ष करों के भुगतान करने के लिये उपयोग किये जाने वाले चालान है

चलान सं.	**कर भुगतान की प्रकृति**
आईटीएनएस 280	**आयकर और कारपोरेट कर (अर्थात् कंपनियों द्वारा आयकर) के भुगतान के लिये**
आई टीएनएस 281	**निगमित और अनिगमित कटौती कर्त्ताओं/संग्राहकों द्वारा टी डी एस/टी सी एस के भुगतान के लिये**
आईटीएनएस 282	**प्रतिभूति लेन देन कर, सम्पत्ति कर और अन्य प्रत्यक्ष करों के भुगतान के लिये**
आईटीएनएस 284	**अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति की स्थिति में आयकर तथा निगमित कर (अर्थात कंपनी द्वारा आयकर) का भुगतान करने के लिए**
आईटीएनएस 285	**समान कटौती के भुगतान करने के लिए**
प्रपत्र सं. 26 **क्यू बी**	**अचल सम्पत्ति के मामले में स्रोत पर कर कटौती के भुगतान के लिये**
प्रपत्र सं. 26 **क्यूसी**	**संपत्ति के किराये की स्थिति में स्रोत पर काटे गए कर का**

भुगतान करने के लिए

प्रपत्र सं. 26क्यूडी — **घरेलू ठेकेदार और पेशेवरों के मामले में स्त्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए**

कर भुगतान किए जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चालान में प्रदान किए जाने वाले सामान्य विवरण

निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण विवरण है जो उक्त वर्णित सभी चालानों के लिये सामान्य है:

- **करदाता का सही स्थाई खाता संख्या आयकर के भुगतान के मामले में दर्ज होना चाहिए और कर कटौती करने वाले का सही कर कटौती खाता संख्या टीडीएस/टीसीएस के भुगतान के मामले में दर्ज होना चाहिये।**
- **सही वित्तीय वर्ष/निर्धारण वर्ष चुना जाना चाहिए।**
- **करदाता का सही पता सही पिन कोड के साथ प्रदान कराना चाहिए।**
- **सही ई-मेल आई डी और कर दाता का सही फोन न. प्रदान कराना चाहिये।**

कर का ई-भुगतान कैसे करें?

करों का ई-भुगतान करने का चरण नीचे दिया गया है:

(क) https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं

(ख) त्वरित लिंक से 'ई-पे टैक्स' का चयन करें

(ग) ओटीपी सत्यापन के लिए पैन/टैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें

(घ) मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक करें

(ङ) 'पैन/टैन' और 'नाम' के विवरण की पुष्टि करें और जारी रखें पर क्लिक करें

(च) उपयुक्त भुगतान का चयन करें, अर्थात, 'आयकर', 'समानीकरण लेवी/एसटीटी/सीटीटी' या 'शुल्क/अन्य भुगतान' और आगे बढ़ें पर क्लिक करें

(छ) 'आकलन वर्ष' और 'भुगतान का प्रकार' चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें

(ज) कर, अधिभार, उपकर आदि की राशि दर्ज करें (यदि कोई हो)

[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]

(झ) जारी रखने पर क्लिक करने पर, करदाता के पास भुगतान करने के विभिन्न विकल्पों के साथ एक नई स्क्रीन होगी, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर पर भुगतान, आरटीजीएस/एनईएफ और भुगतान गेटवे।

(ञ) भुगतान के उपयुक्त तरीके का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें। यदि करदाता क्रेडिट कार्ड या यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करना चाहता है, तो उसे 'पेमेंट गेटवे' का चयन करना होगा।

(ट) चालान और भुगतान कर पर दिखाई देने वाले सभी विवरणों को सत्यापित करें।

(ठ) लेन-देन के सफल समापन पर, भुगतान का चालान (यानी, भुगतान की रसीद) उत्पन्न होगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

- ***किसी सहायता के मामले में सम्पर्क विवरण***
- **एनएसडीएल की वेबसाइट पर ई-भुगतान करते हुये, यदि करदाता कोई समस्या का सामना करता है, उसे टिन काल सेन्टर में सम्पर्क करना चाहिए।**
- **ई-भुगतान करते हुये, यदि करदाता उसके बैंक के भुगतान प्रवेश तरीके पर कोई समस्या का सामना करता है, उसे बैंक से सम्पर्क करना चाहिए।**
- **ई-भुगतान की प्रक्रिया पर और विवरण के लिए**, https://www.tin-nsdl.com **पर जाएं**

आयकर विभाग

प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान पर एमसीक्यू

प्रश्न 1. **क्या एक व्यक्ति ई-भुगतान सुविधा का प्रयोग कर प्रत्यक्ष कर का भुगतान कर सकता है** ?

(क) हां (ख) नहीं

सही उत्तर : (क)

सही उत्तर की प्रमाणिकता :

तकनीक के विकास के साथ, सरकार ने भी अपने आप को उन्नत कर लिया है, इसी प्रकार, वर्तमान समय में, प्रत्यक्ष करों के भुगतान के दो तरीके हैं (i) भौतिक तरीका अर्थात् नामित बैंक में चालान की कागजी प्रति की प्रस्तुति द्वारा भुगतान तथा (ii) ई-भुगतान विधि। इसलिए विकल्प (क) सही विकल्प हैं।

प्रश्न 2. क्या सभी कंपनियों के लिए आयकर का भुगतान इलैक्ट्रानिक रूप से करना अनिवार्य है ?

(क) सही (ख) गलत

सही उत्तर : (क)

सही उत्तर की प्रमाणिकता

निम्नलिखित करदाताओं के लिए केवल ई-भुगतान विधि का प्रयोग कर कर भुगतान करना अनिवार्य है।

- **सभी कंपनियां**
- **अन्य कंपनियों को छोड़कर सभी करदाता जिन्हें धारा 44कख के अनुसार अपने लेखा खातों को अंकेक्षित करना आपेक्षित हैं।**

इसलिए प्रश्न में दिया गया विवरण सत्य है इसलिए विकल्प (क) सही विकल्प है।

प्रश्न 3. एक व्यक्ति जिसे इलैक्ट्रानिक रूप से कर भुगतान करना अनिवार्य नहीं है, क्या ई-भुगतान सुविधा का प्रयोग कर अपने कर का भुगतान स्वैच्छिक रूप से कर सकता है ?

(क) सही (ख) गलत

सही उत्तर : (ख)

सही उत्तर की प्रमाणिकता:

अनिवार्य श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले व्यक्ति ई-भुगतान विधि का प्रयोग कर अपने कर को स्वैच्छिक रूप से जमा कर सकते हैं।

इसलिए प्रश्न में दिया गया विवरण गलत है तथा इसलिए विकल्प (ख) सही विकल्प है।

प्रश्न. 4 ई-भुगतान करने के लिए एक व्यक्ति के पास दो चीजें होनी आवश्यक हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन तथा एक प्राधिकृत बैंक में.....

(क) बचत खाता (ख) चालू खाता

(ग) सावधि जमा (घ) नेट बैंकिंग वाला खाता

सही उत्तर : (घ)

सही उत्तर की प्रमाणिकता:

करों के ई-भुगतान के लिए एक व्यक्ति के पास दो चीजें होनी चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन तथा प्राधिकृत बैंक में नेट बैंकिंग वाला खाता। यदि करदाता के पास नैट बैंकिंग वाला खाता नहीं है तो भी वह किसी अन्य व्यक्ति के नेट बैंकिंग वाले खाते का प्रयोग कर ई-भुगतान कर सकता है लेकिन कर का भुगतान करदाता के नाम पर होना चाहिए।

इसलिए विकल्प (घ) सही विकल्प है।

प्रश्न 5. यदि करदाता के पास नैट बैंकिंग वाला खाता नहीं है तो भी वह किसी अन्य व्यक्ति के नेट बैंकिंग वाले खाते का प्रयोग कर ई-भुगतान कर सकता है ?

(क) सही (ख) गलत

सही उत्तर : (क)

प्रश्न 6. कर की ई-भुगतान सुविधा आयकर के मामले में उपलब्ध है तथा अन्य प्रत्यक्ष करों जैसे संपत्ति कर, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि के मामले में नहीं ?

(क) सही (ख) गलत

सही उत्तर : (ख)

सही उत्तर की प्रमाणिकता:

निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों का भुगतान ई-भुगतान विधि का प्रयोग कर किया जा सकता है :

(1) आयकर

(2) निगमित कर (अर्थात् कंपनी द्वारा दिया जाने वाला आयकर)

(3) स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

(4) स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस)

(5) प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)

(6) संपत्ति कर तथा अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे उपहार कर, व्यय कर आदि

इस प्रकार, प्रश्न में दिया गया विवरण गलत है इसलिए विकल्प (ख) सही विकल्प है।

प्रश्न 7. आयकर तथा निगमित कर (अर्थात् कंपनी द्वारा आयकर) का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चालान प्रयोग किया जाना चाहिए ?

(क) आइटीएनएस 280 (ख) आइटीएनएस 281

(ग) आइटीएनएस 282 (ख) प्रपत्र सं. 26थख

सही उत्तर : (क)

प्रश्न 8. निगमित तथा अनिगमित कटौतीदाता/कटौतीकर्त्ता द्वारा टीडीएस/टीसीएस का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चालान प्रयोग किया जाना चाहिए ?

(क) आइटीएनएस 280 (ख) आइटीएनएस 281

(ग) आइटीएनएस 282 (ख) प्रपत्र सं. 26थख

सही उत्तर : (ख)

प्रश्न 9. प्रतिभूति लेनदेन कर, संपत्ति कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चालान प्रयोग किया जाना चाहिए ?

(क) आइटीएनएस 280 (ख) आइटीएनएस 281

(ग) आइटीएनएस 282 (ख) प्रपत्र सं. 26थख

सही उत्तर : (ग)

प्रश्न 10. अचल संपत्ति के मामले में स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चालान प्रयोग किया जाना चाहिए ?

(क) आइटीएनएस 280 (ख) आइटीएनएस 281

(ग) आइटीएनएस 282 (ख) प्रपत्र सं. 26थख

सही उत्तर : (घ)

प्रश्न 11. अघोषित विदेशी आय की स्थिति में आय का भुगतान करने के लिए कौन सा चालान प्रयुक्त होना है

(क) आईटीएनएस 281 (ख) आईटीएनएस 282

(ग) आईटीएनएस 284 (ख) आईटीएनएस 280

सही उत्तर : (ख)

आयकर विभाग